



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-22.01.2025

विषय:- “आपरेेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना लोहता में मारपीटकर धमकी देने के मामले से सम्बन्धित अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को 400/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना लोहता, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-167/2019 धारा 323/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- मो. अकरम पुत्र रफीउल्ला 2- फरीदा बानो पत्नी मो. अकरण निवासीगण अलावल थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक लोहता व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-21.01.2025 को माननीय न्यायालय ACJM- 06 वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को न्यायालय उठने तक की सजा व 400/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।